

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंन 64/17 तारीख रज् 14.6.17

उनवान - श्रीमाल बनाम तहसीलदार
ज्मानपुर


दाया बाबत इन्दाज डुरुस्ती रिफाई जमाबन्दी
द्वारा अन्तर्गत 88 व च्यास 136 LR Act

पानी की ओर से श्रीमाल मेरे सी गुप्ता एडवोकेट ने दाया बाबत
इन्दाज डुरुस्ती अन्तर्गत च्यास 136 एवं च्यास अन्तर्गत
88 के तहत पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया
गया। दाया दर्ज रजिस्टर कर अरिये सम्मन से
पतिवादी को तलब किया जाकर दिनांक 22-6-17
को पेश हो।


2358
14.6.17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

22.6.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप टोडाभीम में
दिनांक 30.6.17 को पेश हो 

30.6.17

वादी वकील उपन। पैरोकट सरकार उपन। जबब पेश
करने समय -वाला। समय दिया गया। दिनांक 26.7.17 को
पेश हो 

26.7.17

वादी वकील उपन। वादी वकील ने कफन किया
कि यह मुकदमा मात्र नटहिस्सा की डुरुस्ती की पत्रावली

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18 वादी वकील उपर / तहसीलदार टोडाभीमसे रिपोर्टअर्ज
शामिलरहे अस्ति बहस दि 27.3.18 को येशहे

27.3.18

वादी वकील उपर / वादी वकील की बहस सुनी गई
तहसीलदार टोडाभीमकी रिपोर्ट का अवलोकन किया
वादी का दावा जिन्ही योग्य होनेसे डिप्टी किया जागा
विलुत निर्णय पृथकसे लिखाया जाऊ शामिल किया
जाता की पत्रावली फंसल शुमार होऊ नचासे कम
होऊ दाखिल दफ्तारहे

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)